DGMS dated 23.5.96 and 11.12.96. The delivey of 30,000 FSRs was to be completed by August 1996 and the party completed the delivery by July 1996. Therefore, on the date of placement of order as well as till the time the delivery was completed there was validity of the approval of DGMS for FSRs supplied by the party. DGMS informed CIL about the adverse test reiult of 6 sample FSRs drawn by them at random from Moonidih colliery of BCCL and advised CIL to take corrective action and to withdraw FSRs from the mines and get those tested.

These filter self rescuers manufactured by M/s Joseph Leslie Draper Mfg. Pvt. Ltd.were granted DGMS approval only after they were tested at Central Mining Research Institute (CMRI). Besides inspection of the testing facilities for ensuring quality control available at the works of Ms. Joseph Leslie Drager Mfg. Pvt. Ltd., by one of the sub-sidiaries, pre-acceptance examination was also carried out at each of the receiving points.

(d) On the basis of advice of Director General of Mines Safety, these filters self res&iers have been withdrawn from use in underground mines and the efficacy of the equipment so withdrawn, is being checked by taking random samples and getting them tested at CMRI. No further order for procurement of FSRs has been placed on Mls Joseph Leslie Drager Mfg. Pvt. Ltd.

कोयला खानो का निजीकरण

1874. **प्रो. रामगोपाल यादव** :

श्री ईश दत्त यादव :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों के निजीकरण और कोयले और के अयात-शुल्क में कटौती करने संबंधी नीतिगत फैसला कर लिया हैं;

(ख) क्या कोयला खानों में कार्यरत लाखों श्रमिकों ने सरकार को उसके निर्णय के विरूद्ध देशव्यापी हड़ताल पर जाने संबंधी कोई सूचना दी हैं, और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों की मांग और कोयला कम्पनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार का अंतिम निर्णय क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय) : (क) कोयला खानों के निजीकरण किये जाने के सबंधं में सरकार ने सभी कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है तथापि ग्रहीत उपभोग के प्रतिबंध के बिना किसी भारतीय कम्पनी द्वारा कोयला खनन की अनुमति दिये जाने के संबंध में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन किये जाने के लिये ससंद में एक विधेयक प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । कोयले के अयात पर वर्तमान शुल्कगत ढांचे के सबंधं में तीन वर्षो का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

मद का नाम	मूल कस्टम शुल्क	विशेष कस्टम शुल्क	अतिरिक्त शुल्क	विशेष अतिरिक्त शुल्क	कुल
1	2	3	4	5	6
12% से कम राख वाले कोककर कोयले	30%	5%	शून्य	4%	12.B2%

1	2	3	4	5	6
12% से कम राख वाले कोककर कोयले	10%	5%	शून्य	4%	19.6%
12% से कम राख वाले अकोककर कोयले	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
12% से अधिक राख वाले अकोककर कोयले	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

उपयुक्त शुल्कगत ढांवे के परिणामस्वरूप घरेलू कोयला उद्योग आयातित कोयले द्वारा किये जा रहे हमले को झेलने में असमर्थ हैं । अतः अब तक कस्टम शुल्क को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, हां । कोयला खनन में निजी क्षेत्र को प्रवेश दिये जाने के लिये सरकार के प्रस्ताव निर्णय के विरूद्ध विभिन्न मांगों के समर्थ में 11-12-98 को एक दिन की हड़ताल का नोटिस कोल इंडिया लि0 (को0 इ0 लि0) को आईटक, सीटू और एच0 एम0 एस0 से संबंध मजदूर संघों द्वारा दिया गया था तथा इस संबंध विरोध किया गया था ।

(ग) कोयला खनन किये जाने के संबंध में भारतीय कम्पनी को अनुमति दिये जाने के सरकार के निर्णय, निजीकरण से संबंधित नहीं है, क्योंकि कोल इंडिया लि0 और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि0 (सि0 को0 क0 लि0) की विद्यमान कोयला खान कम्पनी के साथ जारी रहेगी तथा इसमें कामगारों के हित प्रभावित नहीं होंगे । भारतीय कम्पनियों को कोयला ब्लाकों के आवंटन हेतु प्रस्तावित निविदात्मक बोली में कोल इंडिया लि0 और सिं0 को0 क0 लि0 जैसी राष्ट्रीयकृत कोयला कम्पनियां भी भाग ले सकती हैं ।

High Power Committee's report OB the problem of fire and subsidence

1875. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the high power committee constituted to undertake the study for tackling the problem of fire and subsidence both in Jharia Coalfields of BOCL and Raniganj Coalfields of ECL, has submitted its report;

(b) if so, what recommendations have been made by the Committee;

(c) whether Government have considered those recommendations; and

(d) if so, the details therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) Yes, Sir.

(b) The major recommendations as made by the Committee are under:—

(i) Wherever possible settle ments of all unstable areas should be shifted to non coal bearing zones. For this pur- pose, satellite townships are the best long term solution against subsidence hazards in the coal-fields .

(ii) There should *be* a total ban on any new construction over declared unsafe areas in the coalfields. Govt. of Bihar should also enact a suitable legislation in line with the one already existing in West Bengd preventing construction over unsafe areas.

(iii) For tackling the problems of fire and subsidence both in